केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
भारत सरकार
5-बी, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011-24360532 फैक्स : 011-24362437

आलोक कुमार वर्मा
निदेशक

अ.शा.प.सं. 1-9/2017-18/राजभाषा/721

दिनांक 04.09.2017

संदेश

किसी भी देश की आत्मा उसकी भाषा में निहित है। बिना भाषा को सहेजे हम अपने सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों को समुन्नत नहीं कर सकते हैं। विविध संस्कृतियों वाले हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इसके अलावा, स्वतंत्रता आंदोलन से अब तक हिन्दी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसी भूमिका के मद्देनज़र भारत के संविधान ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के सभी कार्यालयों में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

मेरी मान्यता है कि हम सभी को अपना कार्यालयी कार्य अधिक से अधिक हिन्दी में करना चाहिए। मैं विशेष तौर पर अधिकारियों से अपेक्षा करूँगा कि वे पत्रावलियों पर टिप्पणियाँ, आदेश इत्यादि हिन्दी में ही दें जिससे उनके अधीनस्थ कार्यरत् कर्मचारीगण भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कारण कम्प्यूटरों पर हिन्दी में काम करना अब बहुत आसान हो गया है। इसके साथ-साथ हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हिन्दी को सहज और सरल भाषा में लिखा जाए जिसे आसानी से समझा जा सके।

आइए, हिन्दी दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी उत्साहपूर्वक अपना सभी कार्य हिन्दी में करेंगे और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। मैं अपने सभी शाखा-प्रमुखों से अपील करूँगा कि लोक सेवक होने के नाते राजभाषा नीति के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। अन्त में, एक बार फिर मैं आप सबको हिन्दी दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिन्द।

आलोक कुमार वर्मा

(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो